राजस्व प्रार्थना पत्र 18/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/161
शैतानराम बनाम शैतानराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

ीगण –

1. शैतान राम पुत्र अणदारा
   जाति–जाट निवासी– नराधना, तहसील–जायल जिला नागौर।

बनाम

ार्थीगण –

1. शैतानराम पुत्र पुरखाराम
   जाति मेघवाल निवासी नराधना तहसील जायल जिला नागौर राज.
2. सरकार जरिये तहसीलदान जायल
3. शाखा प्रबंधक सिंडीकेट बैंक शाखा नागौर।

स्थिति –

1. **अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गौदारा, प्रार्थी की ओर से।**
2. **अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार राजपेरोकार उपस्थित।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : आदेश : : –

दिनांक 22/09/22

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी का खेत ख0न0 1007/284 रकब 1.8130 हैक्टैयर मौजा नराधना तहसील जायल मे आया हुआ है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख0न0 825/972 रकबा 1.4083 हैक्टैयर मौजा नराधना के दक्षिण पश्चिम माठ के सहारे सहारे चलकर प्रार्थी अपने खेत ख.न. 1007/824 मे काश्त इत्यादी करता रहा है। लेकिन वर्तमान मे पुराने चल रहे रास्ते को बन्द कर दिया जाने से प्रार्थी के खेत मे काश्त इत्यादी के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थी को परेश[illegible] सामना करना पड़ रहा है। अप्रार्थी के खेत ख0न0 825/972 की [illegible] पातेली का कटाणी रास्ता लगता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिये कटाणी मार्ग से होकर कोई रास्ता नहीं लगता है तथा अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 825 / 972 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 13 फुट चौडा व 572 फुट लम्बा रास्ता प्रार्थी को दिलाया जावे। प्रार्थी रास्ते के अभाव में अपने खेत में कृषि कार्य करने से वंचित हो गया है। प्रार्थी उक्त रास्ते के बदले नियमानुसार प्रतिफल राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी को अपने खेत ख0न0 1007 / 824 मे आने जाने के लिय अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.न. 825 / 972 की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे रास्ता घोषित फरमावें।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुये जो बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक रोल तहसील जायल द्वारा दिनांक 30.07.2021 को तैयार कर मार्फत तहसीलदार जायल जरिये पत्रांक भू.अ. / 2021 / 3251 दिनांक 13.08.2021 से प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल है।

4. तहसीलदार जायल ने प्रार्थी पक्ष के खेत 1007 / 824 में प्रवेश (आने–जाने) करने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 में वर्णित किया है कि प्रार्थी के खेत मे आने जाने के लिए वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नही है। मौका रिपोर्ट में मार्क सी से डी को सबसे कम दुरी को रास्ता होना अंकित किया है। मार्क ए से बी तथा अन्य प्रस्तावित रास्ता सी से डी में किसी प्रकार का निर्माण एवं बाधा नहीं है।

5. बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खेत मे आने जाने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मौका रिपोर्ट में दर्शाया गया रास्ता मार्क ए से बी रास्ता सबसे उपयुक्त होने कथन करते हुये निवेदन किया मौका रिपोर्ट में अन्य प्रस्तावित रास्ता ख.न. 826 के बीच मे से प्रस्तावित किया गया है जिससे ख.न. 826 के खेत दो भागो मे विभाजित हो जायेगा तथा खातेदार को काश्त करने मे असुविधा होगी साथ चकबन्दी नहीं रहेगी। अतः मौका रिपोर्ट मे मार्क ए से बी रास्ता को कटाणी रास्ता घोषित फरमाया जावे।

6. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुला[illegible] से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किय[illegible] प्रार्थी के खेत ख.न. 265 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता न[illegible] वैकल्पिक रास्ता भी मौजुद नहीं। तहसीलदार की मौका जांच रि[illegible] की पश्चिमी माठ के सहारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

सहारे रास्ता मार्क ए से बी जिसकी लम्बाई 193 मीटर तथा ख.न. 826 मे मार्क सी से डी रास्ता की लम्बाई 168 मीटर होना कथन किया है। ख.न. 826 के खेत के बीच मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिससे ख.न. 826 का खेत 2 भागों मे विभाजित हो जायेगा जिससे ख.न. 826 के खातेदार को काश्त करने मे असुविधा होगी। ख.न. 826 के खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है और निर्णय के स्टेज पर पक्षकार सयोजित कर सुनवाई करने में अनावश्यक विलम्ब होना लाजमी है। मौका रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत मे ससांधन लाने व लेजाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता होना नहीं बताया है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत ख.न. 1007 / 824 मे आने जाने व कृषि संसाधन लाने व लेजाने हेतु रास्ते का अभाव व अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन पश्चात न्यायालय के मतानुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने व संसाधन लाने व लेजाने हेतु काई कटाणी रास्ता नहीं होने साथ किसी प्रकार का वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ता के अभाव व रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खेत ख. न. 1007 / 824 में आने जाने व कृषि संसाधन लाने ले जाने हेतु रास्ते का अभाव व अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने से तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट अनुसार ख.न. 825 / 972 की दक्षिणी–पश्चिमी माठ सहारे मार्क ए से बी कुल लम्बाई 193 मीटर फिट व 4 मी चौडा रास्ता (0.0772 हैक्टेयर) घोषित किया जाता है। तहसीलदार–जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2021 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम नराधना तहसील जायल के खसरा नं. 825 / 972 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट / तकमीना) अनुसार प्रतिकर भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/09/22 को ... इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जिला नागौर जायल